ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एम.ए.(सी) क्रमांक 355/2015
14.06.2021 को आरक्षित
24.06.2021 को घोषित किया गया

गोवर्धन सिंह, पिता– स्व. हीरासायी, उम्र– 55 साल,
निवासी– ग्राम– सुन्दरपुर, पोस्ट– सिरसी, ओडगी रोड,
भैय्याथान, तह.– भैय्याथान,
जिला– सूरजपुर, छत्तीसगढ. (स्वामी) ------ **अपीलकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

1. बृजलाल, पिता– रामाधीन, उम्र– 30 साल,
जाति– पाणिका, व्यवसाय– कृषि,
निवासी– ग्राम झांसी, पोस्ट– बसदायी,
थाना व तह० सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, छ०ग० (आवेदक/दावेदार)

2. शाखा प्रबंधन– बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस
कंपनी लिमिटेड जी.ई. प्लाजा, एयरपोर्ट रोड,
यारवाडा, पुणे, इंडिया 411006, पुलिस सेवा कार्यालय,
शिव मोहन भवन, विधानसभा मार्ग,
पण्डरी रायपुर, छ०ग० (अनावेदक क्र. 1)

3. परमेश्वर सिंह एलियास कुंदर, पिता– शिवधारी सिंह,
उम्र– 24 साल, व्यवसाय– ड्रायवर, निवासी – ग्राम झांसी,
पोस्ट– बसदायी, थाना व तह० सूरजपुर, जिला–सूरजपुर,
छ०ग०(अनावेदक क्र. 2) ---- **उत्तरवादी**

अपीलकर्ता की ओर से: श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित ।
साथ में श्री मोहित कुमार अधिवक्ता ।

उत्तरवारी क्र. 01 की ओर से: श्रीमती मीना शास्त्री अधिवक्ता ।
उत्तरवारी क्र. 02 की ओर से: श्री घनश्याम पटेल अधिवक्ता ।
उत्तरवारी क्र. 03 की ओर से: कोई नहीं ।

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल,
सी.ए.वी. अधिनिर्णय/आदेश

1. यह अपील मालिक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे अधिनियम, 1988 कहा जाएगा) की धारा 173 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें दावा प्रकरण संख्या 21/2012 में द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) (जिसे आगे अधिकरण कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 31.10.2014 को पारित निर्णय की वैधता और उपयुक्तता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत अधिकरण ने बीमा कम्पनी को उसके दायित्व से मुक्त करते हुए दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित कुल 2,31,000/- रुपए का मुआवजा प्रदान किया है। जबकि, दावेदार ने मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए क्रॉस अपील दायर की है। इस अपील के पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार अधिकरण के समक्ष भेजा जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि 28.08.2011 को लगभग 5-6 बजे मृतक प्रहलाद अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा कर रहा था, जिसकी ट्रॉली पर क्रमशः पंजीकरण संख्या सी.जी.-15/ए.ई./0625 और सी.जी.-15/ए.ई./0622 अंकित थी। यह यात्रा भगवान कृष्ण की शोभायात्रा निकालने के लिए की गई थी। प्रासंगिक समय पर, इसे इसके चालक परमेश्वर सिंह उर्फ कुंदर द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाया जा रहा था, जिसके कारण, इसने पलटवार किया और कहा कि प्रहलाद बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसके एक दोस्त की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके पिता द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की गई। उनके अनुसार, मृतक एक छात्र था और समाचार पत्र बेचने का काम करता था और प्रति माह 2,000 रुपये कमाता था और उसने विभिन्न मदों के तहत 15,30,000 रुपये का मुआवजा मांगा था।

3. दावे को अस्वीकार करते हुए, अनावेदक क्र. 2 और 3, अर्थात्, प्रश्नगत वाहन के चालक और मालिक द्वारा यह दलील दी गई कि चूंकि इसका उपयोग उसके चालक द्वारा

किया जा रहा था, जिसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए किसी भी देयता के मामले में, अनावेदक संख्या 1 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। जबकि, इसके बीमाकर्ता ने बचाव किया कि प्रश्नगत वाहन, जिसका बीमा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था, तथापि, यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए एक वाणिज्यिक वाहन के रूप में अपने उद्देश्यों के अलावा अन्य उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, उस पर कोई देयता नहीं लगाई जा सकती।

4. अधिकरण ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचारण पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि कथित दुर्घटना कथित अपराधी वाहन के चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार के पुत्र प्रहलाद की दुखद मृत्यु हुई, जो उस समय 11 वर्ष का था। इसने आगे यह भी माना कि विचाराधीन वाहन, अर्थात् ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली, जिसका बीमा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था, का उपयोग भगवान कृष्ण के जुलूस समारोह के लिए बच्चों को ले जाने के लिए किया जा रहा था, जो बीमा पॉलिसी का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करते हुए और मृतक की 36,000/– रुपये प्रति वर्ष की अनुमानित आय पर विचार करते हुए, उपरोक्त ब्याज सहित कुल मुआवजे की राशि प्रदान की।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अपीलार्थी/मालिक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल के अनुसार अधिकरण का यह निष्कर्ष कि कृषि प्रयोजनों के लिए बीमाकृत वाहन का उपयोग पॉलिसी के उल्लंघन में किया जा रहा था और इस प्रकार बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करना, स्पष्टतः विधि के विपरीत है। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 (जिसे आगे 'नियम, 1994' कहा जाएगा) के नियम 97 के उपनियम (7) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया है कि चूंकि कथित आपत्तिजनक वाहन का उपयोग उस विशेष समय में धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, इसलिए इसे पॉलिसी के उल्लंघन में उपयोग नहीं माना जा सकता है और उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरवनलाल एवं अन्य तथा बिसुन सिंह एवं अन्य बनाम रत्नी देवी एवं अन्य के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जिनकी रिपोर्ट 2004 में की गई थी। 404 और 2019 (2) सीजीएलजे 45 में क्रमशः यह तर्क दिया गया है कि अधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि अधिक है और इसे रद्द करने और/या संशोधित करने योग्य है।

6. दूसरी ओर, अनावेदक क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल ने अधिकरण द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय का समर्थन किया है और **भाव सिंह बनाम साविरानी एवं अन्य तथा करम चंद एवं अन्य बनाम बुधनी बाई एवं अन्य जो क्रमशः (2008)**

1 एमपीजेआर 11 और (2011) 4 एमपीजेआर 14 में रिपोर्ट किया गया है, के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हुए आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जिस केस लॉ पर आश्रित है, उसे अच्छा कानून नहीं माना गया है, इसलिए यह इस प्रकरण में उपयुक्त नहीं है ।

7. दावेदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मीना शास्त्री ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** तथा **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम एवं अन्य** क्रमशः **(2017) 16 एससीसी 680 एवं (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हुए निवेदन किया है कि मृतक की आय की भावी संभावनाओं पर विचार किए बिना अधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि तथा 10 का गलत गुणक लागू करना स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है तथा तदनुसार इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क सुनी हैं तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. निःसंदेह, विचाराधीन वाहन, अर्थात् ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली, का बीमा "किसान पैकेज पॉलिसी" के रूप में किया गया था, जैसा कि इसकी पॉलिसी (प्रदर्श अनावेदक क्र. 1–5) से प्रमाणित होता है और मृतक प्रहलाद और अन्य लोग उस पर यात्रा कर रहे थे। बृजलाल (आ०सा० क्र. 1) के कथन के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसका बेटा भगवान कृष्ण के विसर्जन की शोभायात्रा निकालने के लिए अन्य लोगों के साथ जा रहा था। उसने आगे कहा है कि उसमें छह से सात बच्चे यात्रा कर रहे थे। उसके कथन की पुष्टि पुरुषोत्तम (अ०सा० क्र.2) ने की, जो न केवल मृतक के साथ था, बल्कि उक्त शोभायात्रा निकालने में भी लगा हुआ था। कथित अपराधी वाहन के चालक परमेश्वर (अना० सा० क्र. 1) के कथन से यह भी पता चलता है कि मृतक और दस से पंद्रह बच्चे भगवान कृष्ण के विसर्जन की शोभायात्रा निकालने के लिए वाहन पर यात्रा कर रहे थे।

10. आयोग के विधि अधिकारी रिशव पांडे (अना० सा० क्र. 2) के अनुसार बीमा कंपनी के अलावा, संबंधित वाहन को अन्य बीमा कंपनी में शामिल किया गया था। कृषि प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग बच्चों को ले जाने के लिए किया जा रहा था भगवान कृष्ण की प्रतिमा के विसर्जन की शोभायात्रा निकाली गई।

11. पक्षों द्वारा प्रस्तुत पूर्वाभासित साक्ष्य के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित

वाहन का उपयोग प्रासंगिक समय पर भगवान कृष्ण की शोभायात्रा विसर्जन निकालने के उद्देश्य से किया जा रहा था अब इस मोड़ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि, **मैसूर राज्य बनाम सैयद इब्राहिम, (1967) 2 एससीआर 673** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित की गई, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि इसका उपयोग किसी विशेष समय पर वाहन की स्थिति किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए निर्णायक होगी। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि इसका उपयोग नीति के उल्लंघन में किया जा रहा है या नहीं। उक्त मामले में, कार का मालिक, यद्यपि मोटर कार के रूप में पंजीकृत है, इसका उपयोग परिवहन वाहन के रूप में किया जाना था, तथापि इसका उपयोग यात्रियों को किराये पर ले जाने के लिए किया जाता था। उस तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह देखा गया कि उस विशेष अवसर पर मोटर वाहन को परिवहन वाहन के रूप में उपयोग किया गया माना जाना चाहिए और यदि बिना अनुमित के इसका उपयोग किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 42(1) (अब 1988 के अधिनियम की धारा 66) के तहत निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन होगा। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 5, 7 और 8 इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 5. .....किराए या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने के लिए मोटर वाहन का उपयोग ही मोटर वाहन की श्रेणी निर्धारित करता है, चाहे वह उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित हो या नहीं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि मोटर वाहन का उपयोग कभी–कभी किराये या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, तो भी इसे सार्वजनिक सेवा वाहन माना जाना चाहिए और इसलिए एक परिवहन वाहन और अगर यह बिना उपयोग किया जाता है ऐसे उपयोग की अनुमति देना धारा 42(1) का उल्लंघन होगा और जो मालिक इसका उपयोग करता है या इसे इस तरह उपयोग करने की अनुमति देता है, वह उत्तरदायी होगा धारा 42(1) सहपठित धारा 123 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।

7. इसी प्रकार *पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाम.*

कैप्टन आर. राजगोपालन (ए.आई.आर. 1933 मैड 233) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि मद्रास मोटर वाहन नियम का नियम 30 (ए) किराये पर देने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहनों पर लागू होता है, यदि किसी मोटर वाहन का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए एक बार भी किया गया था, तो उस एक अवसर पर भी उसे किराये पर दिया गया था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर आवश्यक लाइसेंस के बिना अपने निजी वाहन में पारिश्रमिक के रूप में माल ले जाने का कार्य करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना वाहन किराये पर दिया है और वह उस नियम के अंतर्गत अपराध करेगा। उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि विधानमंडल का इरादा किसी निजी वाहन के मालिक को, जो आमतौर पर अपने वाहन का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करता है, लाइसेंस लेने के लिए बाध्य करने का नहीं था, केवल इसलिए कि एक अवसर पर उसने अपने निजी लॉरी में माल किराये पर ले जाया था। यह तर्क इस आधार पर नकारात्मक था कि मोटर वाहन का उपयोग यदि एक बार पारिश्रमिक के रूप में माल ले जाने के लिए किया गया हो, तो भी उसे उस अवसर पर किराये पर दिया गया वाहन माना जाएगा। मैनेजर, इंडियन एक्सप्रेस (ए.आई.आर. 1945 मैड 440) के मामले में याचिकाकर्ता की मोटर कार का उपयोग दो बार इंडियन एक्सप्रेस के कार्यालय से रेलवे स्टेशन तक समाचार पत्रों के बंडल ले जाने के लिए किया गया था। यह माना गया कि जब कार का उपयोग उक्त बंडलों को ले जाने के लिए किया गया था, तो यह धारा 2(8) द्वारा परिभाषित "माल वाहन" की परिभाषा के अंतर्गत आती थी और इसलिए धारा 42(1) के तहत अनुमित आवश्यक थी और चूंकि मालिक के पास इसके तहत कोई अनुमति नहीं था, इसलिए वह धारा 123 के तहत दंडनीय अपराध का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषी था।

12. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक समय पर प्रश्नगत वाहन के उपयोग की जांच करना आवश्यक है और पक्षकारों की दलीलों के परिप्रेक्ष्य से, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में, जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का न तो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था और न ही इसे किराये के लिए वाणिज्यिक वाहन के रूप में उपयोग किया जा रहा था। तथापि, यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि इसका प्रयोग भगवान कृष्ण के विसर्जन के जुलूस के लिए किया गया था और इस प्रकार, इसका प्रयोग एक धार्मिक समारोह के लिए किया गया था और इस पर दस से पंद्रह बच्चे उक्त उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे थे अर्थात ट्रैक्टर–ट्रॉली संयोजन के भार बिना , जैसा कि इसके पंजीकरण प्रमाणपत्रों (प्रदर्श अना क्र. –1 सी और प्रदर्श अना क्र. 2 सी) से पता चलता है, 2790 किलोग्राम है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार चूंकि विचाराधीन वाहन का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, इसलिए नियम 1994 के नियम 97 के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका उपयोग नीति के उल्लंघन में किया जा रहा था, जैसा कि अधिकरण ने माना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त तर्क पर विचार करने के लिए, उक्त नियम, 1994 की जांच करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:–

> **97. माल गाड़ी में व्यक्ति का वहन.––** (1) किसी वास्तविक कर्मचारी या मालिक या किराएदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को माल गाड़ी में नहीं ले जाया जाएगा और इस नियम के अनुसार ही ले जाया जाएगा।
>
> (2) माल गाड़ी के केबिन में किसी भी व्यक्ति को उस संख्या से अधिक नहीं ले जाया जाएगा जिसके लिए बैठने की जगह है, जो चालक के लिए आरक्षित स्थान को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीट के साथ अड़तीस सेंटीमीटर की दर से मापी जाती है, और इससे अधिक नहीं–
>
> (i) हल्के परिवहन वाहन के अलावा किसी माल गाड़ी में चालक के अतिरिक्त छह व्यक्ति;
>
> (ii) किसी हल्के माल गाड़ी में चालक के अतिरिक्त तीन व्यक्ति;
>
> (iii) एक हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाली हल्की माल गाड़ी में चालक के अतिरिक्त एक व्यक्ति।
>
> (3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपनियम (5) और

(6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण लिखित आदेश द्वारा यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वाहन में बड़ी संख्या में व्यक्ति इस शर्त पर ले जाए जा सकेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई माल नहीं ले जाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस कार्य के संबंध में, जिसके लिए वाहन का उपयोग किया जाता है, निःशुल्क ले जाया जाएगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा उल्लेखित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा और जहां वाहन को अनुमति द्वारा अन्तर्निहित किया जाना अपेक्षित है, वहां पूर्वोक्त अनुमति की शर्तें भी अनुमति की शर्तें बनाई जाएंगी।

(4) उप–नियम (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप–नियम (4) और (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए–

(i) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के संबंध में समारोहों के प्रयोजनार्थ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, और

(ii) जहां वह अपने स्वामित्व वाले या किराये पर लिए गए वाहनों के संबंध में तथा अन्य वाहनों के संबंध में लोकहित में समीचीन समझे, ऐसे अत्यावश्यक प्रकृति के आधारों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, वहां राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, मालवाहक वाहनों को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाने की अनुमति दे सकेगी, तथा आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति दे सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) किसी भी व्यक्ति को किसी मालवाहक वाहन में नहीं ले जाया जाएगा–

(i) जब तक कि वाहन के फर्श का कम से कम 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला न रखा जाए,

(ii) इस प्रकार से––

(क) कि ऐसे व्यक्ति को माल ढोते समय या अन्यथा वाहन से गिरने का खतरा हो;

(ख) कि यदि वह बैठा हुआ हो तो उसके शरीर का कोई भाग उस सतह से तीन मीटर से अधिक ऊंचा न हो जिस पर वाहन टिका हुआ है।

(6) इस नियम के प्रावधान अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत पंजीकृत मोटर वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

(7) उप–नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप–नियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, औद्योगिक संगठन, नगर निगम संस्था, जलापूर्ति संस्था और गैर–कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर–ट्रेलरों को छोड़कर, जिनका भार 7300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर–ट्रेलरों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा–

(i) कृषि या कृषि से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए मजदूरों और कृषक के परिवार के सदस्य को ले जाने के लिए, जिसमें कृषि वस्तुओं की बिक्री और खरीद भी शामिल है।

(ii) मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहों के समय व्यक्तियों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक नहीं होगी।

15. पूर्वोक्त प्रावधान के उप–नियम 7(ii) के आधार पर यह सत्य है कि यदि ट्रैक्टर–ट्रॉली संयोजन (माल वाहक वाहन) का लदान रहित भार 7300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, तो उप–नियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन उप–नियम (5) के प्रावधानों के अधीन, औद्योगिक संगठन, नगरपालिका संस्थानों, जल आपूर्ति संस्थान और गैर–कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर–ट्रॉली के अलावा अन्य ऐसे ट्रैक्टर–ट्रॉली का उपयोग मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य औपचारिक अवसरों पर व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है यदि इस तरह ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता–मालिक के विद्वान अधिवक्ता ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरवनलाल व अन्य** (सुप्रा) और **बिसुन सिंह व अन्य बनाम रत्नी देवी व अन्य** (सुप्रा) के मामलों में दिए गए फैसलों पर विश्वास करते हुए तर्क दिया है कि चूंकि विचाराधीन वाहन, हालांकि "किसान पैकेज पॉलिसी" के रूप में बीमाकृत था, लेकिन इसका इस्तेमाल धार्मिक समारोह के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल उस विशेष समय में नीति के उल्लंघन में किया जा रहा था ताकि बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सके, जैसा कि अधिकरण ने माना है। हालाँकि, उक्त तर्क को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि **भाव सिंह बनाम सविरानी और अन्य** के मामले में एमपी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उपरोक्त नियमों की व्याख्या विचार के लिए आई है। **(2008) 1 एम.पी.जे.आर. 11** में रिपोर्ट किया गया था जिसमें यह माना गया था कि नियम 97 अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत जोखिम को स्वचालित रूप से कवर नहीं करता है और तदनुसार निम्नानुसार माना गया: –

"सरवनलाल एवं अन्य (सुप्रा) में खंडपीठ के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय के संबंध में, हम पाते हैं कि खंडपीठ ने न केवल जुगल किशोर (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, बल्कि मोटर वाहन नियम, 1994 (संक्षेप में '1994 के नियम') के नियम 97 के खंड (vii) पर भी भरोसा किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाया गया था। जहां तक जुगल किशोर (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के निर्णय का संबंध है, हम पहले ही कानून की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। नियम 1994 के नियम 97 के खंड (7) के संबंध में, हम पाते हैं कि नियम 1994 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 96 और विशेष रूप से उप–धारा (2) (xxxi) के तहत बनाए गए हैं, जो यह प्रावधान करता है कि पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मालवाहक वाहनों चालक के अलावा अन्य व्यक्तियों की ढुलाई के संबंध में धारा 96 के तहत नियम बनाए जा सकते हैं। अधिनियम के अध्याय–V में धारा 96 रखी गई है जो 'परिवहन वाहनों के नियंत्रण' से संबंधित है। अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अध्याय–V के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है। इसलिए, अधिनियम के अध्याय–V के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1994 के नियमों का नियम 97 बनाया गया है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 'परिवहन वाहनों के नियंत्रण' से संबंधित है। ये नियम स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 145 और 147 सहित अधिनियम के अध्याय–XI के प्रावधानों की व्याख्या करने में कोई असर नहीं डाल सकते हैं। जैसा कि हमने उपरोक्त संकेत दिया है, किसी यात्री या कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता का दायित्व अधिनियम की धारा 147 या बीमा पॉलिसी की शर्तों के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। इस प्रकार, सरवन लाल (सुप्रा) में डिवीजन बेंच का निर्णय, जहां तक वह 1994 के नियमों के नियम 97 पर निर्भर करता है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराता है, सही कानून नहीं बनाता है।

16. उपर्युक्त अवलोकन के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मप्र उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरवनलाल एवं अन्य, 2004 (4) एम.पी.एच.टी. 404** के प्रकरण में दिए गए निर्णय को सही कानून नहीं माना गया है और इसलिए, जिसके आधार पर, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **बिसुन सिंह एवं अन्य बनाम रत्नी देवी एवं अन्य, 2019 (2) सीजीएलजे 45** के मामले में दिए गए निर्णय, जिस पर अपीलकर्ता–स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वास किया है, जिसमें उक्त नियमों की वजह से बीमा कंपनी पर दायित्व तय किया जाना, उपयोगी नहीं होगा।

17. जैसा भी हो, उपरोक्त नियमों की व्याख्या इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मामले **"करम चंद और अन्य बनाम बुधनी बाई और अन्य", (2011) 4 एमपीजेआर 14** में भी विचारणीय रही है, जिसमें पैरा 13 में यह प्रतिपादित किया गया है, जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:–

> 13. सत्य है, उपरोक्त नियम मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह आदि के समय ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक न हो। उपरोक्त नियमों के आलोक में, अपीलकर्ता अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं, जो यात्रियों को ले जाने के लिए वाहन के उपयोग पर रोक लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस नियम के तहत, बीमा कंपनी को वैधानिक नीति के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैधानिक नीति यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता की देयता के लिए प्रावधान नहीं करती है, जिनके बारे में न तो बीमा अनुबंध में प्रवेश करते समय विचार किया गया था, और न ही ऐसे लोगों की श्रेणी को बीमा के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लाभ की सीमा तक कोई प्रीमियम का भुगतान किया गया था। इसलिए, उठाया गया मुद्दा भी उनके लिए कोई मदद नहीं करता है।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि म.प्र. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय, जिसमें उक्त उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय को निरस्त किया गया है, तथा साथ ही इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को दुर्भाग्यवश इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया है, अतः उक्त मामले में निर्धारित सिद्धांत अर्थात् **बिसुन सिंह एवं अन्य बनाम रत्नी देवी एवं अन्य** (सुप्रा) अपीलार्थी–स्वामी के लिए किसी काम के नहीं होंगे।

19. इसके अलावा, प्रदर्श अना०क्र० 01–5 के रूप में चिह्नित पॉलिसी के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यात्री के नुकसान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मालिक द्वारा कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जा सकता है कि इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप, मुझे अपीलकर्ता–स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला, जिससे बीमा कंपनी पर दायित्व तय हो सके। अपीलकर्ता–स्वामी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है।

21. अब, जहां तक मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करने वाली दावेदार द्वारा प्रस्तुत क्रॉस–अपील का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय अधिकरण दावेदार को देय उचित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करने के लिए मृतक की आय की भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने में विफल रहा है। मुआवजे की राशि निर्धारित करने वाले विवादित अधिनिर्णय को, इसलिए, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

22. मृतक की मासिक आय 3000/– रुपये तथा वार्षिक आय 36,000/– रुपये, जैसा कि अधिकरण ने माना है, को ध्यान में रखते हुए, **प्रणय सेठी** (सुप्रा) के उक्त मामले में

निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में उसकी वार्षिक आय की भावी संभावनाओं के लिए 40%, अर्थात् 14,400/– रुपये की वृद्धि की जानी है। इस प्रकार, यह 50,400/– रुपये (36,000/– रुपये + 14,400/– रुपये) होगा। चूंकि मृतक अविवाहित था, इसलिए उसके व्यक्तिगत तथा जीवन–यापन व्यय के लिए इसका आधा, अर्थात् 25,200/– रुपये की कटौती उचित होगी। इस प्रकार वार्षिक आश्रितता 25,200/– रुपये (50,400/– रुपये – 25,200/– रुपये) होगी और 15 का गुणक लागू करने, मृतक की आयु को ध्यान में रखने तथा अधिनियम, 1988 की धारा 163–ए के अंतर्गत तैयार द्वितीय अनुसूची में दिए गए दिशा–निर्देशों पर विचार करने पर कुल आश्रितता 3,78,000/– रुपये (25,200 x 15) होगी।

23. इसके अलावा, पिता–दावेदार को पैतृक संघ के शीर्षक के तहत संघ की हानि के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है, जैसा कि **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम और अन्य** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रणय सेठी** (सुप्रा) के मामले में निर्धारित दर पर निर्धारित किया गया है। परिणामस्वरूप, इसके अतिरिक्त, दावेदार पारंपरिक शीर्षकों के तहत निम्नलिखित राशियों का हकदार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुआवजे का तरीका	राशि रु.
(i) पैतृक संघ की हानि	– 40,000/–
(ii) अंतिम संस्कार व्यय	– 15,000/–
(iii) संपत्ति की हानि	– 15,000/–
कुल	– Rs.70,000/– ==========

24. परिणामस्वरूप, दावेदार अधिकरण द्वारा दिए गए 2,31,000/– रुपये के स्थान पर कुल 4,48,000/– रुपये (3,78,000/– रुपये + 70,000/– रुपये) मुआवजे का हकदार होगा और मुआवजे की बढ़ी हुई राशि, अर्थात् 2,17,000/– रुपये (4,48,000/– रुपये – 2,31,000/– रुपये) पर उसकी क्रॉस–अपील के प्रवेश की तारीख से अर्थात् 27.01.2021 तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

25. यद्यपि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अनावेदक क्र. 1 – बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन पॉलिसी अस्तित्व में पाई गई। इसलिए, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य** और **प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साजू पी. पॉल व अन्य क्रमशः (2004) 3 एससीसी 297 और (2013) 2 एससीसी 41** के प्रकरणों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करके उल्लेख किया गया, मैं तदनुसार उक्त कंपनी को निर्देश जारी करता हूं कि वह पहले दावेदार–पिता को दी गई राशि का भुगतान करे और फिर मालिक–गोवर्धन सिंह (यहां अपीलकर्ता) और चालक, अर्थात्, परमेश्वर सिंह (अनावेदक क्र. 2) से कथित अपराधी वाहन से इस मामले में उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में भुगतान की गई मुआवजे की राशि वसूल करे।

26. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, मालिक द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है, जबकि दावेदार द्वारा प्रस्तुत क्रॉस–अपील को आंशिक रूप से ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। अधिकरण द्वारा की गई बाकी टिप्पणियाँ यथावत रहेंगी। व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**